38

उत्तराखण्ड शासन
संस्कृति पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2
संख्या–103/vi-2/2013–59(2)/2011
देहरादूनः दिनांक ~~सितम्बर~~ 03 अक्टूबर, 2013

विज्ञप्ति/अधिसूचना

राज्यपाल, राज्य युवा कल्याण परिषद उत्तरखण्ड द्वारा राज्य के युवाओं के सर्वांगीण विकास तथा अन्य सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु चलाये जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों के लिए धनराशि की व्यवस्था के लिए निधि की स्थापना व उसके संचालन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

शीर्षक 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण निधि व उसका संचालन नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषा 2. इन नियमों के लिए जब तक कि अन्यथा अपेक्षित हो।

(1) **निधि** से उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण निधि अभिप्रेत हैं.

(2) **परिषद** से राज्य युवा कल्याण परिषद उत्तराखण्ड अभिप्रेत है.

(3) **प्रशासन प्रबन्ध समिति** से निधि की व्यवस्था हेतु नियमों के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है।

निधि की स्थापना व स्रोत 3.(1) इस नियमावली के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण निधि ज्ञात नाम से एक निधि की स्थापना करेगी।

(2) प्रारम्भ में निधि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से पुर्नगठन के फलस्वरूप प्राप्त रू0 25,71,305.00(रूपये पच्चीस लाख इकहत्तर हजार तीन सौ पाँच) मात्र तथा राज्य सरकार की संचित निधि से रू0100.00 लाख की धनराशि से स्थापित की जायेगी,

परन्तु यह कि राज्य सरकार को निधि की धनराशि बढ़ाने अथवा घटाने का अधिकार होगा।

(3) निधि के अन्य स्रोत निम्नलिखित होंगेः–

(क) केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उनक्रमों. राष्ट्रीयकृत बैंकों से स्वेच्छा से दिया गया धन ;

(ख) केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान ,

(ग) अन्य स्त्रोत से नियमानुसार प्राप्त किया गया अनुदान ।

निधि का उद्देश्य 4. निधि के निम्नलिखित उद्देश्य हैंः–

(क) राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास तथा कल्याण हेतु चलाये जाने वाले कार्यक्रमों के लिए धनराशि की व्यवस्था करना।

(ख) राज्य युवा कल्याण परिषद के कार्मिकों के वेतन/मानदेय हेतु धनराशि की व्यवस्था करना।

(ग) मा0 उपाध्यक्ष राज्य युवा कल्याण परिषद का मानदेय तथा मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को दिये जाने वाली अन्य सुविधाओं पर होने वाले व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था करनाः,

Letter section/

(घ) राज्य युवा कल्याण परिषद् के विभिन्न कार्यालयी व्ययों तथा विभिन्न कार्यों के निर्वहन हेतु धनराशि की व्यवस्था करना।

प्रशासन 5. राज्य सरकार का युवा कल्याण विभाग परिषद विभाग का प्रशासनिक होगा। शासन के अपर सचिव राज्य युवा कल्याण जो युवा कल्याण विभाग के विभागाध्यक्ष तथा राज्य युवा कल्याण परिषद के सचिव (जिसे यहां आगे प्रशासक कहा गया) भी है, निधि के प्रशासक होंगे।

वित्तीय प्राधिकार 6. प्रशासक निधि के स्वीकृत प्राधिकारी होंगे। निधि से धनराशि की स्वीकृत हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन सम्बन्धित शासनादेश सं0–562/xvii(7)/2010, दिनांक 24 मई. 2010 के समय–समय पर उसमें किये गये संशोधनों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

निधि की व्यवस्था–7. निधि की व्यवस्था प्रबन्ध समिति द्वारा की जायेगी। प्रबन्ध समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा–

1.	मा0 युवा कल्याण मंत्री/अध्यक्ष. राज्य युवा कल्याण परिषद् उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
2.	निदेशक. युवा कल्याण/सचिव राज्य युवा कल्याण परिषद्	सदस्य
3.	नोडल अधिकारी, राज्य युवा कल्याण परिषद्	सदस्य सचिव
4.	सहायक लेखाधिकारी, युवा कल्याण निदेशालय	कोषाध्यक्ष
5.	निदेशक/सचिव राज्य युवा कल्याण परिषद् द्वारा नामित एक अधिकारी/कर्मचारी जो कल्याण कोष कार्य देख रहा हो	सदस्य

प्रबन्ध समिति की बैठक हेतु अध्यक्ष के अतिरिक्त तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वर्ष में कम दो बार प्रबन्ध समिति की बैठक बुलाई जायेगी किन्तु प्रबन्ध समिति आवश्यक मामलों के निस्तारण हेतु जब भी आवश्यक समझे, बैठक बुला सकेगी। बैठक की गणपूर्ति दो तिहाई होगी और समस्त निर्णय बहुमत से किये जायेंगे।

निधि की धनराशि का निवेश 8.(1) प्रबन्ध समिति की धनराशि के निवेश, आर्थिक सहायता की मात्रा तथा अन्य मामलों को जहां नियम नहीं बने हैं, निर्धारण करेगी।

(2) नियमावली के किसी प्राविधान के होते हुए भी राज्य सरकार नियमावली में निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत निधि से सहायता विभिन्न युवा कल्याण कार्यक्रमों अन्य कार्यो हेतु धनराशि स्वीकृत कर सकेगी।

(3) निधि की धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधिक योजना उत्तराखण्ड सरकार के उपक्रमों, डाकघर योजनाओं में जो डाकघर की सबसे लाभकारी योजना हो तथा सरकारी अथवा इसे ऋण के रूप में सार्वजनिक उपक्रमों को भी दिया जा सकता है। प्रतिभूतियों/व्याज को निधि के खाते में जमा किया जायेगा तथा मूल धन की धनराशि को यथावत रखा जायेगा और उससे कोई व्यय नहीं किया जायेगां निवेश हेतु संस्था का चयन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

प्रबन्ध समिति के सदस्यों को देय धनराशिः 9. प्रबन्ध समिति के सदस्य प्रबन्ध समिति के अधिकारी होने के नाते किसी पारिश्रमिक या पुरस्कार के रूप में किसी धनराशि को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे।

कर्मचारियों का प्राविधान 10. प्रबन्ध समिति के लिपिकीय व अन्य कार्यों हेतु कार्यरत आवश्यक अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यवस्था परिषद के प्रशासनिक विभाग अथवा निदेशक युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/सचिव राज्य युवा कल्याण परिषद द्वारा परिषदीय कार्मिकों से की जायेगी।

लेखा एवं लेखा परीक्षा 11. निधि की समस्त धनराशि एवं नियमित लेखा अभिलेख रखा जायेगा। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008 (अध्याय 7 बिन्दु 69) के अधीन प्रत्येक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निधि के अधिप्राप्ति एवं क्रय का विस्तृत विवरण एवं विश्लेषण होगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति 12. यदि इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में कोई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश जारी कर सकेगी जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक व समीचीन हो।

भवदीय,

(डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 103 /vi-2/2013–59(2)/2011,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रारद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद–हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को सरकारी गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट, भाग–4, खण्ड–ख में प्रकाशित करते हुये उसकी 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।

Letter section/